

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग कोटा

खनिज भवन, टैगोर नगर प्लाट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़ कोटा

E mail ID - mekota@dmg-raj.org

दिनांक 06.12.2019

क्रमांक- खंअ/कोटा/अर्थ व खन/२०१९/५६०५

प्रेस विज्ञप्ति

कोटा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन / निर्गमन चैकिंग के दौरान जवत्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाये (दरे)दिनांक 30.12.2019 (सांयकाल 5 बजे तक) कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा (खनिज भवन, टैगोर नगर प्लाट नम्बर 3, रावतभाटा रोड़ कोटा)के कमरा नम्बर 115 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबन्द लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 31.12.2019 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादर दाताओ के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 115 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

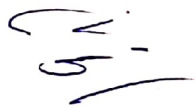
क्र. म. संख्या	स्थान का विवरण (जहाँ जप्तशुदा बजरी पड़ी है)	बजरी की अनुमानित मात्रा(टनों में)	बयाना/अमानत राशि रू०	न्यूनतम निविदा राशि (रू.)
1.	संजय नगर, 80 फिट रोड़ के पास कोटा	400 टन	26000	260000
2.	कल्पना चॉवला पुलिया, के पास कोटा	700 टन	45500	455000
3.	कुन्हाड़ी चम्बल पुलिया के ,पास कोटा	450 टन	29250	292500
4.	मुकन्दरा आवसीय योजना ,कोटा	350 टन	22750	227500
5.	उधोग नगर थाने के पास, कोटा	100टन	6500	65000
6.	रामचरण सर्किल, कोटा	60 टन	3900	39000
7.	मण्डाना ,जिला कोटा	100 टन	6500	65000
8.	ग्राम गलाना तह 0 लाडपुरा ,जिला कोटा	20 टन	1300	13000
9.	रेलवे ऑवरब्रिज कुन्हाड़ी , कोटा	480 टन	31200	312000
10.	ईटावा तह. पिपल्दा जिला कोटा	60 टन	3900	39000
11.	केशोपुरा तह. पिपल्दा ,जिला कोटा	2016 टन	131040	1310400
12.	खातोली तह 0 पिपल्दा,जिला कोटा	200 टन	13000	130000
13.	खातोली तह 0 पिपल्दा,जिला कोटा	50 टन	3250	32500
14.	बगली तह0 पिपल्दा,जिला कोटा	400टन (कालीबजरी)	18000	180000
15.	ब्रजबिहार ईटावा तह पिपल्दा ,जिला कोटा	60 टन	3900	39000
16.	ईटावा गैतामा रोड़ तह0 पिपल्दा ,जिला कोटा	80 टन	5200	52000
17.	बस स्टेण्ड ईटावा तह0पिपल्दा ,जिला कोटा	120 टन	7800	78000
18.	बस स्टेण्ड ईटावा तह पिपल्दा ,जिला	50टन(काली बजरी)	2250	22500

51

18	बस स्टेण्ड ईटावा तह पिपल्दा ,जिला कोटा	50टन(काली बजरी)	2250	22500
19	पुलिस थाना रामगंजमण्डी ,जिला कोटा	95टन(काली बजरी)	4275	42750
20	निकट ग्राम आमली(नदी किनारे)तह. सांगोद ,जिला कोटा	1000टन (काली बजरी)	45000	450000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहैगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र /स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये । सभी निविदायें कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा के कमरा नम्बर 115 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 31.12.2019 (सायंकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी ।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना /अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी के नाम हो , निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा । यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/ चौकी /स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर्स चैक अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रु प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी ।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा , कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों /कम्पनी , कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है ।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना /चौकी /क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी के तकनीकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना /चौकी /क्षेत्र/स्थल में जैसी भी जितनी भी , जँहा भी है , उसी स्थिती में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी ।
6. प्राप्त निविदाये कमेटी द्वारा दिनांक 31.12.2019 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा के कमरा नम्बर 115 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ -साथ GST/TCS संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी । राशि जमा होने की तिथी से 5 एवं अधिकतम् 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी । अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जप्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी ।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही(लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चें) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।



- 8 निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
- 9 निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 10 नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज /आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होग एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
- 11 सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता कोटा /रामगंजमण्डी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
- 12 सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।
- 13 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
- 14 तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता(सतर्कता)को व्हाटसप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
- 15 विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत /अधिकृत तुला यन्त्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित उपर अकिंत अधिकारियों को व्हाटसप पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
- 16 नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण /परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगीत स्थान पर परिवहन करेगा।
- 17 स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चिया एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
- 18 प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा। और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 19 सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
- 20 खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
- 21 खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 22 शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।



(जगदीश चन्द्र मेरावत)
खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी

क्रमांक :-खअ/कोटा/अवैध खनन्/2019/4606-4628

दिनांक :-6-12-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण
3. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.आ.एम.एस निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) कोटा जोन कोटा।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता कोटा वृत्त- कोटा।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) कोटा वृत्त- कोटा।
8. खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी।
8. थाना अधिकारी पुलिस थाना इटावा/खातोली/विज्ञान नगर /गुमानपुरा कोटा/आर.के. पुरम/अन्नतपुरा/मण्डाना/कैथून/कुन्हाड़ी/उधोगनगर रामगंजमण्डी.
9. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ कोटा/रामगंजमण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(जगदीश चन्द्र मेरावत)

खनि अभियन्ता कोटा/रामगंजमण्डी